UPGK010015352026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01, गोरखपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 770/2026

1. मोहम्मद बिट्टू साह उर्फ बिट्टू देवान पुत्र राजू साह उर्फ राजू देवान उर्फ राजू सेठ।
2. राजू साह उर्फ राजू देवान उर्फ राजू सेठ पुत्र सहाबुद्दीन साह।

निवासीगण- कोईरी गांव, कोईरी टोला, जनपद- सिवान, बिहार।

....................आवेदक/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **..................................विपक्षी**

मु०अ०सं०- 705/2026
अंतर्गत धारा- 103(1), 140(1), 312, 109, 115(2), 125, 3(5), 61(2) B.N.S., धारा- 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश व धारा- 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम
थाना- पिपराईच, जनपद-गोरखपुर।

दिनांक- 24.03.2026

आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०- 705/2026, अंतर्गत धारा- 103(1), 140(1), 312, 109, 115(2), 125, 3(5), 61(2) B.N.S., धारा- 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश व धारा- 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, थाना- पिपराईच, जनपद- गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र से समर्थित है।

जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्तगण का यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा उनका कोई भी अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी की फर्नीचर की दुकान गांव के पूरब नहर पर है, उसका भांजा मोनू व उसके पिता खरभान वहां रहते है। दिनांक 15-16.09.2025 को रात्रि लगभग साढ़े 11 बजे एक महिन्द्रा बोलेरो पिकअप संख्या- UP25 GT 2312 जिस पर एक गाय व दो बछड़ा लदा था, साथ ही एक चार पहिया और उन दोनों वाहनों पर 10-12 लोग थे। वे सभी लोग वादी की दुकान में चोरी करने की नियत से घुस गये। वादी के भांजे मोनू द्वारा शोर मचाने पर वे सभी उसको मारने लगे। वादी का भांजा किसी तरह से भाग कर वादी को फोन किया जिस पर वह व उसका भाई विरेन्द्र व बेटा दीपक गुप्ता व गांव के तमाम लोग दुकान के तरफ भागे। उसका भाई विरेन्द्र, बेटा दीपक व अशोक ये स्कूटी से

आगे निकले जैसे ही विरेन्द्र व अशोक वहां पहुचे बदमासों व गौ तस्कर पिस्टल तान दिये जिससे वादी का भाई विरेन्द्र व अशोक किसी तरह जान बचा कर भागने लगे। सभी बदमाश गौतस्कर ईंट पत्थर चला कर सभी को मारना शुरू कर दिये जिससे सब घबरा कर भागे। वादी का लडका दीपक स्कूटी से अपने गांव के तरफ नहर पकड़कर भागा। रेतवहिया के तरफ जाने वाली सड़क ट्रासफार्मर के पास गड्ढे में गाडी फिसल जाने के कारण गिर गया। सभी बदमाश जो गौतस्कर व चोर थे, वादी के पुत्र दीपक को जबरदस्ती मारपीट कर गाड़ी में उठा कर बैठा लिये तथा बलपूर्वक अपहरण करके उसकी हत्या कर दिये तथा सरैया के पास रोड़ के किनारे मारकर फेंक दिये। घटना को बहुत लोगों ने देखा है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि प्रार्थीगण बिल्कुल निर्दोष है मात्र कारगुज़ारी दिखाने के लिए प्रार्थीगण को अभियुक्त बना दिया गया है। प्रार्थीगण ने जब वांछित रिपोर्ट थाने से मंगाया तो प्रार्थीगण का नाम प्रकाश में आया है। प्रार्थीगण घटना के समय अपने घर थे। इस घटना से प्रार्थीगण का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं हैं तथा उन्हें बाद में विवेचना के दौरान जोड़ा गया है। प्रार्थीगण के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष अथवा स्वतंत्र साक्ष्य विवेचना में संकलित नहीं किया गया है। चार्जशीट में प्रार्थीगण की कोई विशिष्ट भूमिका स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है। प्रार्थीगण से किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है, न ही किसी आपत्तिजनक वस्तु की जब्ती दिखाई गई है। प्रार्थीगण को केवल सहअभियुक्तों के कथनों के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है, जो कानूनन कमजोर साक्ष्य हैं। प्रार्थीगण को डर है कि पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। प्रार्थीगण के घर वालों को पुलिस हैरान व परेशान कर रही है। विवेचना निष्पक्ष न होकर अनुमान व संदेह पर आधारित प्रतीत होती है। चार्जशीट दाखिल हो जाने के पश्चात प्रार्थीगण की कस्टोडियल पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थीगण स्थायी निवासी हैं, उनके फरार होने या साक्ष्य से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के पुत्र की हत्या की गयी है, जो एक गंभीर प्रकृति का अपराध है, जिसके कारण अभियुक्तगण अग्रिम जमानत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थना-पत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं समस्त सुसंगत प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर गोवंशी पशुओं की तसकरी के अनुक्रम में वादी मुकदमा के पुत्र की हत्या करने का अभियोग है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य से

अभियुक्तगण की मामले में प्रथम दृष्टया संलिप्तता प्रकट होती है। प्रस्तुत मामला हत्या जैसे गंभीर अपराध से संबंधित है, जिसमें सहअभियुक्तगण के नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में निरस्त किये जा चुके है। साथ ही आवेदक/अभियुक्त की ओर से ऐसा भी कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित हो सके कि उसे गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित कराने के आशय से प्रस्तुत मामले में झूठा संलिप्त किया गया हो। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिकथित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/ अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण मोहम्मद बिट्टू साह उर्फ बिट्टू देवान एवं राजू साह उर्फ राजू देवान उर्फ राजू सेठ द्वारा मु०अ०सं०- 705/2026, अंतर्गत धारा- 103(1), 140(1), 312, 109, 115(2), 125, 3(5), 61(2) B.N.S., धारा- 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश व धारा- 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, थाना- पिपराईच, जनपद- गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक-24.03.2026

(उमेश चन्द्र पाण्डे-II)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01,
गोरखपुर।
JO Code - UP 6066

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01,
गोरखपुर।

Digitally signed by UMESH CHANDRA PANDEY
Date: 2026.03.24 16:45:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court